(120)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी

निग-1778-III-14

श्री ... द्वारा आज दि. 13-6-14 को प्रस्तुत

13/6/14
रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

गोपाल सिंह पुत्र हल्कू राम निवासी ग्राम सिंघारई तहसील बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

.....अपीलार्थी आवेदक

बनाम

मुन्नी पत्नी रघुवीर जाठव निवासी ग्राम संगेश्वर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.

..... प्रत्यर्थी अनावेदिका

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/ 2013-- 14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.05.2014 के विरूद्धनिगरानी समयावधि में प्रस्तुत है :-

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, ग्राम सिंघारई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 668/2 रकवा 0.50 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 819 रकवा 0.70 कुल किता 2 रकवा 1.20 हेक्टर काबिल काश्त पर आवेदक का 50वर्षो से अतिक्रमण होकर कब्जा है आवेदक उक्त भूमि पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। आवेदक भूमिहीन है आवेदक का उक्त भूमि पर कब्जा होते हुए बिना सूचना दिये अनावेदिका के हित में अवैध रूप से नायब तहसीलदार उप तहसील रन्नौद तहसील बदरवास द्वारा प्रकरण क्रमांक5/ 02--03/अ--19 द्वारा आदेश दिनांक 31.12. 2002 को विवादित भूमि का बंटन किया गया । जिसकी जानकारी आवेदक को नही दी गई।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1778–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

गोपाल सिंह विरूद्ध मुन्नी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना कोलारस, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 2/2013–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 30–05–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 28/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	